



दिनांक 25.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति 397 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 01 मोबाइल फोन, नगद रुपये
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 24.07.2026 को थाना दक्षिण व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टी0एल0 तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 मोबाइल फोन, नगद रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण पर लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रवि कुमार निवासी आजाद नगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1-लूटे गये 01 मोबाइल फोन, नगद रुपये।

2-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना शक्तिनगर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटना का अनावरण
- चोरी के 07 लाख 20 हजार नगद
- चोरी की धनराशि से खरीदी गयी मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 25.07.2026 को थाना शक्तिनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-अजय कुमार 2-पिंटू उर्फ ननकी को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 20 हजार नगद, चोरी की धनराशि से खरीदी गयी मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना शक्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अजय कुमार निवासी एम0जी0आर0 बस्ती थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।
- 2-पिंटू उर्फ ननकी निवासी एम0जी0आर0 बस्ती थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

- 1-चोरी के 07 लाख 20 हजार नगद।
- 2-चोरी की धनराशि से खरीदी गयी मोटर साइकिल आदि।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 03 कुन्तल विद्युत कॉपर तार
- घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 25.07.2026 को थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1-रोशन 2-मोनिश 3-दानिश 4-कपिल 5-असलम को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 कुन्तल विद्युत कॉपर तार, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रोशन के विरुद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त मोनिश, दानिश, कपिल, असलम के विरुद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना धौलाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—रोशन निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।
- 2—मोनिश निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।
- 3—दानिश निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।
- 4—कपिल निवासी ग्राम ढिकोली थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर हालपता—ग्राम भोवापुर थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
- 5—असलम निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

- 1—चोरी की 03 कुन्तल विद्युत कॉपर तार।
- 2—घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना मक्खनपुर

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 13 किलो 198 ग्राम अवैध चरस
- 01 मोबाइल फोन
- 1200/—रुपये नगद बरामद

दिनांक 25.07.2026 को थाना मक्खनपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिल्टीगढ रोड मक्खनपुर से अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रुपये

(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 13 किलो 198 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन, 1200 /—रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मकखनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय निवासी ग्राम गोनाहा चैनपुर थाना रक्सौल जनपद मोतीहारी, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 13 किलो 198 ग्राम अवैध चरस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—1200 /—रूपये नगद।

➤ जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 25.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति 398 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० श्री योगी आदित्यनाथ जी की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० श्री राजीव कृष्ण के निर्देशन में प्रदेशभर में अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना बहिलपुरवा क्षेत्र में दिनांक 22.07.2026 को छात्रा के साथ किये गये गैंगरेप में प्रकाश में आये हुए अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र उर्फ भोले पुत्र देवराज पटेल निवासी ग्राम कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.विवेक कुमार पटेल पुत्र नरेश कुमार पटेल निवासी रैपुरवा माफी चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.प्रवीण पटेल पुत्र शिवमूरत निवासी मानपुर थाना भरतकूप हाल पता कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी की फोटो से लड़के और लड़की ने शिनाख्त किया। जिन पर गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। भेजे गये रिपोर्ट के क्रम में उक्त पुरस्कार राशि को भेजे गए रिपोर्ट के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा महोदय द्वारा 50-50 हजार रुपये की गयी। मुखविर की सूचना पर दिनांक 25.07.2026 समय 16.50 बजे मड़फा पहाड़ हुआ रोड भरतकूप में अभियुक्त और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ भोले के पैर में गोली लगी जिसे हिरासत पुलिस में लेकर अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। दौरान मुठभेड़ आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत घायल हुए को भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
